

संख्या-658 ई-2/तेरह-2010-10/10

प्रेमक,  
नवल किशोर,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

रोया में,  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ-दिनांक: 05 मार्च, 2010

विषय: वर्ष 2010-11 में विदेशी गदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी 159/दस-लाइसेंस-367/(खण्ड-2) सुझाव आबकारी नीति/2010-11 दिनांक 04 मार्च, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04 मार्च, 2010 द्वारा किये गये अनुरोध/दिये गये अभिमत के पुष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2010-11 हेतु विदेशी गदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु लाइसेंस फीस की अधिकतम सीमा रु० 37 लाख निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. शरणादेश संख्या-601 ई-2/तेरह-2010-10/10 दिनांक 28 फरवरी, 2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शरणादेश दिनांक 28 फरवरी, 2010 में वर्णित शेष प्राविधान ग्राह्यवत् रहेंगे।

तदनुसार अप्रतार आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवल किशोर)  
विशेष सचिव।

अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण/व्यवस्थापन-2010-11

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ०प्र०, इलाहाबाद।  
संख्या 21842-22036 /दस-लाइसेंस-367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति/2010-11/दिनांक 09 मार्च, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ०प्र०।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल./समस्त पटल सहायक लाइसेंस अनुभाग।

(रमेश चौराहा)  
उप आबकारी आयुक्त, (लाइसेंसिंग)  
कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ०प्र०।